उत्तर प्रदेश शासन
नागरिक उड्डयन अनुभाग
संख्या: 87/2023/1094/छप्पन-2023-34/2016
लखनऊ, दिनांक: 25 अगस्त, 2023

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

नागरिक उड्डयन निदेशालय, उत्तर प्रदेश के अधीन एयरोनॉटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, उ0प्र0 के अन्तर्गत प्रवक्ता (एवियॉनिक्स) के पद पर श्री संतोष कुमार सिंह को रू0 45,600/-(रूपए पैंतालीस हजार छ: सौ मात्र) के नियत मासिक पारिश्रमिक पर शासनादेश संख्या:- 67/2016/1240/छप्पन-2016-19/11 दिनांक 05 सितम्बर, 2016 द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अग्रेत्तर 02 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया था। जिसके अनुपालन में उनके द्वारा दिनांक 06 सितम्बर, 2016 के पूर्वाह्न में अपना योगदान प्रस्तुत किया गया। तदुपरान्त श्री संतोष कुमार सिंह, प्रवक्ता (एवियॉनिक्स) की सेवाओं की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए उनकी संविदा सेवा अवधि अग्रेत्तर बढाई जाती रही तथा अन्तिम बार कार्यालय ज्ञाप संख्या-69/2022/1274/छप्पन-2023-34/2016 दिनांक 09 सितम्बर, 2022 द्वारा उनकी संविदा सेवा अवधि अग्रेत्तर 01 वर्ष (दिनांक 06 सितम्बर, 2022 से दिनांक 05 सितम्बर, 2023 तक) के लिए बढ़ाई गई थी।

2- निदेशक, एयरोनॉटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट द्वारा अपने पत्र दिनांक 26 जुलाई, 2023 द्वारा उल्लेख किया गया है कि शासनादेश दिनांक 09 सितम्बर, 2014 के अनुसार श्री संतोष कुमार सिंह, प्रवक्ता (एवियॉनिक्स) का वर्तमान पारिश्रमिक रूपए 61,108/- है। तत्क्रम में दिनांक 06 सितम्बर, 2023 से अग्रेत्तर 02 वर्ष अर्थात दिनांक 05 सितम्बर, 2025 तक के लिए श्री संतोष कुमार सिंह की संविदा सेवा अवधि बढ़ाए जाने की संस्तुति की गई है।

3- अत: निदेशक, एयरोनॉटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के उक्त प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ0प्र0 के अधीन एयरोनॉटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, उ0प्र0 के अन्तर्गत प्रवक्ता (एवियॉनिक्स) के पद पर कार्यरत श्री संतोष कुमार सिंह की संविदा सेवा अवधि दिनांक 06 सितम्बर, 2023 से आगामी 02 वर्ष (अर्थात 05 सितम्बर, 2025 तक) के लिए बढ़ाए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

4- श्री संतोष कुमार सिंह की सेवा के सम्बन्ध में अन्य नियम व शर्तें पूर्ववत जारी रहेंगी तथा संविदा बढ़ाए जाने के सम्बन्ध में उनसे निर्धारित प्रपत्र पर पुनः अनुबन्ध-पत्र निष्पादित करके उसकी प्रति शासन को उपलब्ध कराई जाए।

आनन्द कौशिक
अनु सचिव।

2/--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या: 87/2023/1094(1)/छप्पन-2023-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. निदेशक, एयरोनाटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, उ0प्र0 लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि श्री संतोष कुमार सिंह, प्रवक्ता (एवियॉनिक्स) से निर्धारित प्रपत्र पर पुनः अनुबन्ध पत्र निष्पादित करके उसकी प्रति शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. श्री संतोष कुमार सिंह**,** एयरोनॉटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ एयरपोर्ट, लखनऊ।
3. महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, प्रयागराज।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ एयरपोर्ट, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
आनन्द कौशिक
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।